Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

142-2025/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, AUGUST 14, 2025 (SRAVANA 23, 1947 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA

Notification

The 14th August, 2025

No. 20-HLA of 2025/54/15768.— The Haryana Backward Classes Commission (Amendment) Bill, 2025 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 20- HLA of 2025

THE HARYANA BACKWARD CLASSES COMMISSION (AMENDMENT) BILL, 2025

A

BILL

further to amend the Haryana Backward Classes Commission Act, 2016.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows :-

1. This Act may be called The Haryana Backward Classes Commission (Amendment) Act, 2025. Short title.

2. For Section 9 of the Haryana Backward Classes Commission Act, 2016 (hereinafter called the principal Act), the following section shall be submitted namely:- Substitution of Section 9 to Haryana Act 9 of 2016.

"9. Function of Commission- The Commission shall perform the following functions, namely:-

(i) to examine the request for inclusion or exclusion of any class of citizens as a backward class and hear complaints of over-inclusion or under- inclusion of any Backward Class and tender such advice to the State Government as it deems appropriate;

(ii) to investigate and examine the working of various safeguards provided in the Constitution of India or under any other law for the time being in force or under any order of the State Government for the welfare and protection of the Backward Classes;

(iii) to enquire into specific complaints with respect to the deprivation of the rights and safeguards of the Backward Classes and to take up such matter with the appropriate authorities;

(iv) to participate and advice on the planning process of socio-economic development of the Backward Classes and to evaluate the progress of their development;

(v) to make recommendations as to the measures to be taken by the State Government for the effective implementation of safeguards and other measures for the protection, welfare and socio-economic development of the Backward Classes and to made report to the State Government annually and at such other time, as the Commission deems fit;

(vi) to discharge such other functions in relation to the protection, welfare development and advancement of the Backward Classes, as may be prescribed.".

Addition of Section 18 in Haryana Act 9 of 2016.

3. After section 17 of the principal Act, the following section shall be added, namely:-

"18. Protection of action taken in good faith.- No suit or other legal proceedings shall lie against any member, officer or employee for anything which is done in good faith or intended to be done in pursuance of any of the provisions of this Act and rules made thereunder.".

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

(i) In order to comprehensively address the needs and demands of the Backward Class, the Commission felt a need to expand the scope of functions which requires substantial amendments to strengthen the Commission in discharge of its functions to safeguards the interest of the Backward Classes. Therefore, Commission has proposed an amendment in Section 9 of the Haryana Backward Classes Commission Act, 2016 (Haryana Act No. 9 of 2016).

(ii) There is no provision in the Act to protect Chairman, Members, Officers/Officials of the Commission against any suit, persecution or other legal proceedings for anything done by them in good faith or intended to be done under the Haryana Backward Classes Commission Act, 2016 so that the Section 18 may be inserted after section 17 of the principle Act. A Similar Provision also exists under Section 18 of the Haryana State Commission for Scheduled Castes Act, 2018 (Haryana Act No. 34 of 2018).

Keeping in view of the above requirements, the Haryana Backward Classes Commission in its meeting held on 04.08.2023 has resolved to propose an amendment of Section 9 of the Haryana Backward Classes Commission Act, 2016 (Haryana Act No. 9 of 2016) and Insertion of Section 18 for protection of action taken in good faith in the said Haryana Act No. 9 of 2016."

(iii) The Bill seeks to achieve the above objectives.

KRISHAN KUMAR,
Social Justice, Empowerment &
Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes and
Antyodaya (SEWA) Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 14th August, 2025.

RAJIV PRASHAD,
Secretary.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2025 का विधेयक संख्या 20 एच.एल. ए.

हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2025
हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2016 को आगे संशोधित करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रुप से यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है।

2016 के हरियाणा अधिनियम 9 की धारा 9 का प्रतिस्थापन।

2. हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2016 (जिसे, इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 9 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थातः–

"9 आयोग के कृत्य.– आयोग निम्नलिखित कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थातः–

(i) पिछड़े वर्ग के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को शामिल करने या निकालने के लिए अनुरोध का परीक्षण करना और किसी पिछड़े वर्ग को अधिक शामिल करने या कम शामिल करने बारे शिकायतों की सुनवाई करना और राज्य सरकार को ऐसी मंत्रणा प्रदान करना जो यह समुचित समझे;

(ii) पिछड़े वर्गों के कल्याण और संरक्षण के लिए भारत के संविधान में उपबंधित या तत्समय लागू किसी विधि के अधीन या राज्य सरकार के किसी आदेश के अधीन विभिन्न सुरक्षापायों के कार्यों का अन्वेषण और परीक्षण करना;

(iii) पिछड़े वर्गों के अधिकारों के हनन और सुरक्षापायों के संबंध में विशिष्ट शिकायतों की जांच करना और ऐसे मामलों को समुचित प्राधिकरणों के साथ उठाना;

(iv) पिछड़े वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना और मन्त्रणा देना और उनके विकास की प्रक्रिया का मूल्यांकन करना;

(v) पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक–आर्थिक विकास के लिए सुरक्षापायों और अन्य उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपायों के बारे में सिफारिश करना और राज्य सरकार को प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समय पर, जो आयोग उचित समझे, रिपोर्ट देना;

(vi) पिछड़े वर्गों के संरक्षण, कल्याण, विकास और उन्नति के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों, जो विहित किए जाएं, का निर्वहन करना।"।

2016 के हरियाणा अधिनियम 9 में धारा 18 का परिवर्धन।

3. मूल अधिनियम की धारा 17 के बाद, निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी, अर्थातः–

"18. सदभावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण.– इस अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।"।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

(i) पिछड़े वर्ग की आवश्यकताओं और मांगों को व्यापक रूप से संबोधित करने के लिए, आयोग ने अपने कार्यों के दायरे का विस्तार करने की आवश्यकता महसूस की, जिसके लिए पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा हेतु अपने कार्यों के निर्वहन में आयोग को सशक्त बनाने हेतु पर्याप्त संशोधनों की आवश्यकता है। अतः आयोग ने हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2016 (हरियाणा अधिनियम संख्या 9, 2016) की धारा 9 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है।

(ii) हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2016 के अंतर्गत आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा सद्भावनापूर्वक किए गए या किए जाने के लिए आशयित किसी भी कार्य के लिए किसी भी मुकदमे, उत्पीड़न या अन्य कानूनी कार्यवाही से सुरक्षा प्रदान करने हेतु अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए मूल अधिनियम की धारा 17 के बाद धारा 18 को जोड़ा जा सकता है। हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 2018 (हरियाणा अधिनियम संख्या 34, 2018) की धारा 18 के अंतर्गत भी इसी प्रकार का प्रावधान मौजूद है।

उपरोक्त आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग ने दिनांक 04.08.2023 को आयोजित अपनी बैठक में हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2016 (हरियाणा अधिनियम संख्या 9, 2016) की धारा 9 में संशोधन करने तथा उक्त हरियाणा अधिनियम संख्या 9, 2016 में सद्भावनापूर्वक की गई कार्रवाई के संरक्षण के लिए धारा 18 को सम्मिलित करने का प्रस्ताव रखा।

(iii) विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करता है।

कृष्ण कुमार,
सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण और
अंत्योदय (एस.ई.डब्ल्यू.ए.) मंत्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 14 अगस्त, 2025.

राजीव प्रसाद,
सचिव।

12036—H.V.S.—H.G.P., Pkl.